113

संख्याः— 1130/XX-2012-4(8)2011

प्रेषक,

अमित सिन्हा
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून

गृह अनुभाग—1

देहरादूनः दिनांकः 2 ~~जून~~ जुलाई 2012

विषयः—वित्तीय वर्ष 2011—2012 में 13 वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदानों के अंतर्गत जनपद बागेश्वर में थाना कपकोट के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रथम चरण के कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्याःडीजी—दो—130—2007, दिनांक 21 अप्रैल, 2012 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011—12 में 13 वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदानों के अंतर्गत जनपद बागेश्वर में थाना कपकोट के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु प्रथम चरण के कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था 'ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग' बागेश्वर द्वारा उपलब्ध कराये गये रूपये 2.87 लाख के आगणन के तकनीकी परीक्षणोपरान्त रूपये 2.18 लाख पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012—13 में **रूपये 2.18 लाख** (रूपये दो लाख अठ्ठारह हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2— कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

3— कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

4— कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो. नि.वि. द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

5— कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्यस्थल का भली—भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

6— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या—2047/XIV—219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

7— कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8— स्वीकृत धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए किया जाय तथा व्यय उन्ही मदों में किया जाय जिस हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

9— उक्त व्यय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक में अनुदान सं0–10 लेखाशीर्षक 4055– पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय–आयोजनागत–00–800–अन्य व्यय 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0102–13 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत पुलिस थाना/चौकी निर्माण, 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

10— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः— 37/N.P/xxvii(5)/12, दिनांक 20 जून, 2012 प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अमित सिन्हा)
अपर सचिव

संख्याः— 1130(1)/XX-2012–4(8)2011, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तद्नुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
3. निदेशक, कोषागार, 25 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/बागेश्वर, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र(एन.आई.सी.) सचिवालय परिसर देहरादून।
6. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, बागेश्वर।
7. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 पी0 जोशी)
संयुक्त सचिव